



उपकार

जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा

(नवोदय विद्यालयों में कक्षा-VI वर्ग में प्रवेश के लिए)

सैनिक स्कूल एवं एन. सी. ई. आर. टी. आदि की
पुस्तकों एवं पिछले वर्षों के प्रश्न-पत्रों पर आधारित

लेखकद्वय

डॉ. लाल एवं जैन

2027

उपकार प्रकाशन, आगरा



उपकार प्रकाशन

*"Your Feedback,
Our Guidance"*



SCAN ME!

Scan and Share Your
Experience With Us

© प्रकाशक

प्रकाशक

उपकार प्रकाशन

हैड ऑफिस : 1, स्टेट बैंक कॉलोनी, निकट खन्दारी, आगरा-मथुरा बाईपास रोड, आगरा-282 005

रजि. ऑफिस : 2/11 ए, स्वदेशी बीमा नगर (शाह सिनेमा के सामने), आगरा-282 002

फोन : 2530966, 2531101

E-mail : care@upkar.in, Website : www.upkar.in

ब्रांच ऑफिस :

8-310/1, ए. के. हाउस,

हीरानगर, हल्द्वानी,

जिला-नैनीताल-263 139 (उत्तराखण्ड)

मोबा. : 7060421008

- इस पुस्तक का सम्पूर्ण कॉपीराइट प्रकाशक के पास है. प्रकाशक से बिना लिखित अनुमति लिए, इस पुस्तक के किसी भी भाग को दोबारा बनाया नहीं जा सकता, किसी भी प्रकार से सुरक्षित नहीं किया जा सकता या किसी भी तरह से, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोकॉपी, रिकॉर्डिंग या किसी और माध्यम से नहीं भेजा जा सकता. ऐसा करने वाले किसी भी व्यक्ति पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी और वह नुकसान के लिए पूर्ण उत्तरदायी होगा.
- इस पुस्तक को प्रकाशित करने में प्रकाशक द्वारा पूर्ण सावधानी बरती गई है, फिर भी किसी त्रुटि के लिए प्रकाशक जिम्मेदार नहीं होगा.
- किसी भी परिवाद के लिए न्यायिक क्षेत्र केवल आगरा ही होगा.

ISBN : 978-93-6319-998-9

Code No. 30

मुद्रक : उपकार प्रकाशन (उपकार स्टेशनरी प्रा लि) बाईपास रोड, आगरा

विषय-सूची

- पिछले वर्षों के प्रश्न-पत्र हल सहित

खण्ड-1

- गणित योग्यता परीक्षा 1-64

खण्ड-2

- भाषा (हिन्दी) परीक्षा 1-24

खण्ड-3

- मानसिक योग्यता परीक्षण 1-24
 - भाग-I : प्रतिरूप पूर्ण करना 3-6
 - भाग-II : आकृति शृंखला पूर्ण करना 7-11
 - भाग-III : ज्यामितीय चित्र पूरक (त्रिकोण, वर्ग, वृत्त) 12-15
 - भाग-IV : दर्पण एवं जल प्रतिबिम्ब 16-17
 - भाग-V : सन्निहित आकृति 18-23
- पर्यावरण अध्ययन 1-24
 - 1. प्राकृतिक संसार 1-4
 - 2. मानव शरीर 5-8
 - 3. दैनिक जीवन में विज्ञान 9-13
 - 4. सामाजिक परिवेश 14-17
 - * उत्तरमाला 18-18
 - 5. गद्यांश 19-24
- मॉडल हल प्रश्न-पत्र (ओ.एम.आर. उत्तर पत्रक सहित) 1-40

नवोदय विद्यालय योजना

परिचय

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार भारत सरकार ने जवाहर नवोदय विद्यालय प्रारम्भ किए थे. वर्तमान में 27 राज्यों और 8 केंद्रशासित प्रदेशों में फैले हुए हैं. ये सह-शिक्षा वाले आवासीय विद्यालय हैं. जिन्हें एक स्वायत्त संगठन नवोदय विद्यालय समिति के जरिए भारत सरकार द्वारा सम्पूर्ण वित्तीय सहायता प्राप्त है. नवोदय विद्यालयों में चयन परीक्षा के माध्यम से कक्षा 6 तक प्रवेश दिया जाता है. इन विद्यालयों में कक्षा 8 तक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा अथवा क्षेत्रीय भाषा है और इसके बाद कक्षा 9 से गणित और विज्ञान के लिए अंग्रेजी माध्यम तथा सामाजिक विज्ञान के लिए हिन्दी माध्यम है. जेएनवी के छात्र केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होते हैं. नवोदय विद्यालयों में छात्रों को निःशुल्क आवास, शिक्षा, भोजन, यूनीफार्म एवं पाठ्य पुस्तकें प्रदान की जाती हैं, परन्तु कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों से मात्र ₹ 600 प्रतिमाह विद्यालय विकास निधि के लिए लिया जाता है. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग छात्र, बालिकाओं एवं उन छात्रों, जिनके अभिभावक गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करते हैं, को इस शुल्क से छूट प्रदान की गई है. छूट प्राप्त वर्ग (कक्षा-6 से 8 के विद्यार्थी, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति और बालिकाएं तथा गरीबी रेखा के नीचे (BPL) परिवारों के बच्चों) के अतिरिक्त सरकारी कर्मचारियों के बच्चों से ₹ 1500/- प्रतिमाह की दर से विकास निधि के लिए अथवा माता-पिता द्वारा प्राप्त वास्तविक बाल्य शैक्षणिक भत्ता, जो भी कम हो, देय होगा, परन्तु विद्यालय विकास निधि ₹ 600/- प्रतिमाह प्रति छात्र से कम नहीं होगी.

योजना के उद्देश्य

- विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभावान बच्चों को, श्रेष्ठ गुणवत्तायुक्त आधुनिक शिक्षा के साथ सशक्त सांस्कृतिक घटक एवं मूल्यपरक शिक्षा, पर्यावरण के प्रति चेतना, साहसिक क्रियाओं एवं शारीरिक शिक्षा प्रदान करना है.
- यह सुनिश्चित करना कि छात्र तीनों भाषाओं में उचित स्तर की दक्षता प्राप्त कर सकें.
- विद्यार्थियों की प्रवास नीति (हिन्दी से अहिन्दी भाषी तथा अहिन्दी से हिन्दी भाषी राज्यों में) के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना.
- अनुभवों और सुविधाओं की सहभागिता के द्वारा विद्यालयीय शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु प्रत्येक जनपद में केन्द्र बिन्दु के रूप में सामान्य सेवाएँ प्रदान करना.

आवेदन की विधि

जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन पंजीयन प्रक्रिया—

- जेएनवी प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन जमा करने की प्रक्रिया को सरलीकृत कर दिया गया है. नवोदय विद्यालय समिति की

वेबसाइट www.navodaya.gov.in के प्रवेश पोर्टल पर जाकर निःशुल्क पंजीयन किया जा सकता है.

- अभ्यर्थी और अभिभावक अधिसूचना-सह-विवरणिका को ध्यानपूर्वक पढ़ें और पात्रता शर्तों की पूर्ति सुनिश्चित करें.

- पंजीकरण के लिए निम्न दस्तावेजों की सॉफ्ट कॉपी तैयार रखें (JPG प्रारूप, आकार 10 से 100KB)

- फोटो, अभिभावक के हस्ताक्षर, अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
- आधार विवरण/सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण-पत्र.
- आवेदन पोर्टल में राज्य, जिला, विकासखंड, आधार संख्या, APAAR ID, PEN संख्या आदि मूल विवरण भरने होंगे.
- पात्र अभ्यर्थी ऑनलाइन फॉर्म भरकर अपना फोटो तथा अभ्यर्थी और अभिभावक—दोनों के हस्ताक्षर अपलोड करें. प्रमाण-पत्र केवल 10-100 KB के JPG प्रारूप में अपलोड किया जाए.
- NIOS के अभ्यर्थियों के पास 'B' प्रमाण-पत्र होना चाहिए और वे उसी जिले के वास्तविक निवासी हों जहाँ प्रवेश चाहते हैं.
- ऑनलाइन प्लेटफॉर्म खुला और निःशुल्क है. आवेदन डेस्कटॉप, लैपटॉप, मोबाइल, टैबलेट आदि किसी भी माध्यम से भरा जा सकता है.
- सभी JNVs में आवेदन निःशुल्क अपलोड कराने हेतु सहायता-कक्ष उपलब्ध रहेगा. अभिभावक अभ्यर्थी के साथ फोटो, अभ्यर्थी एवं अभिभावक के हस्ताक्षर तथा सक्रिय मोबाइल नम्बर वाला फोन लेकर सहायता-कक्ष जा सकते हैं, ताकि OTP, पंजीकरण संख्या और पासवर्ड SMS से प्राप्त हो सके.
- अभ्यर्थी का चयन जिला-विशिष्ट है और यह केवल उसी जिले के लिए आवेदन कर सकता/सकती है जहाँ कक्षा V पढ़ाई के समय वह निवास करता/करती है. कपटपूर्ण सूचना देना अथवा निवास और अध्ययन सम्बन्धी विवरण सही ढंग से न बताना किसी भी चरण पर बिना पूर्व सूचना अभ्यर्थिता तुरन्त रद्द करने का आधार होगा.
- सभी आवेदक आँकड़े इलेक्ट्रॉनिक रूप से दर्ज और संसाधित होते हैं. अतः जमा किया गया डेटा अन्तिम और बाध्यकारी माना जाएगा. अन्तिम सबमिशन से पहले ऑनलाइन आवेदन में दर्ज प्रत्येक सूचना की पूर्ण शुद्धता, सम्पूर्णता और सत्यता सुनिश्चित करने की कानूनी जिम्मेदारी आवेदक की होगी. सावधानी के रूप में सीमित सुधार-विंडो भी उपलब्ध कराई जाती है.
- इलेक्ट्रॉनिक आवेदन के अन्तिम सबमिशन के बाद दर्ज डेटा लॉक और बाध्यकारी आधिकारिक अभिलेख बन जाएगा. बाद में जनसांख्यिकीय अथवा शैक्षणिक विवरण बदलने हेतु कोई प्रशासनिक प्रावधान नहीं है, ऐसे आवेदन, कानूनी नोटिस अथवा अनुरोध संक्षेप में अस्वीकार किए जाएंगे.

प्रवेश-पत्र जारी करना

आवेदन पोर्टल पर निर्धारित तिथि से प्रवेश-पत्र उपलब्ध होंगे, जिसे अभ्यर्थी / माता-पिता द्वारा निःशुल्क डाउनलोड किया जा सकेगा।

पात्रता

नवोदय विद्यालयों में प्रवेश के लिए पात्रता के मानदण्ड निम्नलिखित हैं—

सभी अभ्यर्थियों के लिए

- जेएनवी में कक्षा-VI में उम्मीदवार का प्रवेश जिला विशिष्ट है। अभ्यर्थी उसी जनपद के जेएनवी के लिए आवेदन कर सकता है, जिस जिले के सरकारी / सरकारी मान्यता प्राप्त विद्यालय में वर्तमान शैक्षिक सत्र के दौरान कक्षा-5 में पढ़ रहा हो।
- प्रवेश चाहने वाले अभ्यर्थी का जन्म निर्धारित तिथि से पहले या बाद का नहीं होना चाहिए। यह अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समेत सभी अभ्यर्थियों पर समान रूप से लागू होगी। अभ्यर्थी के प्रमाण-पत्र में दर्ज आयु एवं अधिक उम्र के सन्देह होने पर उसको प्रवेश दिए जाने के समय मेडिकल बोर्ड से आयु की प्रमाणिकता हेतु जाँच कराई जाएगी और मेडिकल बोर्ड का निर्णय अन्तिम होगा।
- निर्धारित चयन परीक्षा के बैठने वाले अभ्यर्थी को उसी जिले, जहाँ वह प्रवेश लेना चाहता / चाहती है, के किसी सरकारी / सरकारी सहायता प्राप्त / अन्य मान्यता प्राप्त अथवा राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान से योग्यता 'प्रमाण-पत्र-बी' सहित पूर्ण शैक्षिक सत्र के दौरान कक्षा 5 में अध्ययनरत होना चाहिए। सरकार अथवा सरकार की ओर से अधिकृत किसी एजेन्सी के द्वारा मान्यता प्राप्त घोषित विद्यालय को ही मान्यता प्राप्त माना जाएगा। वे विद्यालय, जिनके छात्र एन.आई. ओ.एस. (राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयीय संस्थान) से योग्यता प्रमाण-पत्र 'बी' प्राप्त किए हों, उन्हें एन.आई. ओ.एस. (राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयीय संस्थान) द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए। छात्र का वर्तमान सत्र में सफलतापूर्वक कक्षा 5 पूर्ण किया होना चाहिए। इसी स्थिति में वह कक्षा 6 में अगले सत्र में वास्तविक प्रवेश उल्लिखित शर्तों के अधीन होगा।
- कक्षा-VI में प्रवेश चाहने वाले अभ्यर्थी को ग्रामीण क्षेत्र में स्थित किसी सरकारी / सरकारी सहायता प्राप्त / मान्यता प्राप्त विद्यालय से, हर साल एक पूरा शैक्षणिक सत्र बिताते हुए कक्षा-III, IV और V का अध्ययन और उत्तीर्ण किया होना चाहिए।
- अभ्यर्थी, जिन्होंने राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयीय संस्थान से 'बी' प्रमाण-पत्र दक्षता सहित निर्धारित तिथि या उससे पूर्व उत्तीर्ण की है, वे भी इस परीक्षा में बैठने के पात्र हैं, अगर वे निर्धारित आयु सीमा में हों। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयीय संस्थान के प्राधिकृत केन्द्रों / संस्थाओं के छात्रों की ग्रामीण स्थिति का निर्धारण उस जिले के तहसीलदार अथवा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी प्रमाण-पत्र के आधार पर किया जाएगा जिसमें यह लिखा गया हो कि छात्र पिछले तीन वर्षों से ग्रामीण क्षेत्र में निवास कर रहा है। नगरीय एवं अधिसूचित क्षेत्रों से पढ़ने वाले छात्र जो उपर्युक्त योजनाओं में अध्ययन कर रहे हों, वे ग्रामीण कोटे के अन्तर्गत प्रवेश के पात्र नहीं होंगे।
- उन जिलों के लिए जहाँ कि जवाहर नवोदय विद्यालय प्रारम्भ होने के बाद जिले का विभाजन हुआ है एवं यदि विभाजन से

निर्मित जिले में नवीन जवाहर नवोदय विद्यालय नहीं खोला गया हो तो जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा में प्रवेश हेतु जिले की पुरानी सीमा के अनुरूप अभ्यर्थियों की पात्रता रहेगी।

- ऐसे अभ्यर्थी, जो प्रोन्नत नहीं किए गए हैं और पाँचवीं कक्षा में निर्धारित तिथि से पहले प्रवेश नहीं लिए हैं, वे आवेदन के लिए पात्र नहीं होंगे।
- अभ्यर्थी किसी भी परिस्थिति में चयन परीक्षा में दूसरी बार बैठने के लिए अर्ह नहीं है।

ग्रामीण क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए

- (क) प्रत्येक जिले में कम-से-कम 75% सीटें उस जिले के ग्रामीण क्षेत्रों से चयनित अभ्यर्थियों द्वारा शेष सीटें उस जिले के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों से चुने गए अभ्यर्थियों द्वारा योग्यता के आधार पर भरी जाएंगी।
- (ख) ग्रामीण क्षेत्रों के कोटे के अन्तर्गत प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थी को ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित किसी सरकारी / सरकारी सहायता प्राप्त / सरकार द्वारा स्थित किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से बिना किसी कक्षा को पुनरावर्तित किए, अन्तराल व अवरोध के पूरे सत्र तक कक्षाओं 3, 4 व 5 में पढ़ा हुआ होना चाहिए। अभ्यर्थी ने कक्षा-5 में पूर्ण शैक्षणिक सत्र में उसी जिले में अध्ययन किया हो, जहाँ वह प्रवेश चाहता है।
- (ग) 'राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयीय संस्थान' की योजना के तहत पढ़ने वाले अभ्यर्थी को जिला अधिकारी / तहसीलदार / खण्ड विकास अधिकारी (बी.डी.ओ.) द्वारा निर्गत इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि अभ्यर्थी पिछले तीन वर्षों से ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहा है और अध्ययन कर रहा है।

शहरी क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए

ऐसा अभ्यर्थी जो शहरी क्षेत्र में स्थित किसी विद्यालय में कक्षा 3, 4 व 5 में किसी सत्र में एक दिन भी पढ़ लिया है, शहरी अभ्यर्थी समझा जाएगा। शहरी क्षेत्र वे हैं, जिन्हें जेएनवीएसटी पंजीकरण के लिए आवेदन जमा करने के अन्तिम तिथि पर किसी भी सरकारी अधिसूचना द्वारा परिभाषित किया गया हो। शेष सभी क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र कहलाए जाएंगे।

ट्रांसजेन्डर श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए

जेएनवीएसटी में ट्रांसजेन्डर श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए अलग से कोई आरक्षण प्रदान नहीं किया गया है और उन्हें आरक्षण हेतु बालकों की श्रेणी में विभिन्न उप श्रेणियों जैसे—शहरी, ग्रामीण, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग में सम्मिलित किया जाएगा।

नोट : विस्तृत जानकारी के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय के पोर्टल पर दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ लें।

स्थानों का आरक्षण

- (क) प्रत्येक जिले की कम-से-कम 75 प्रतिशत सीटें ग्रामीण क्षेत्र से चयनित अभ्यर्थियों द्वारा तथा शेष बची सीटें जिले के शहरी और ग्रामीण अभ्यर्थियों से मेरिट के आधार पर भरी जाएंगी।
- (ख) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए सीटों का आरक्षण सम्बन्धित जिले की जनसंख्या के अनुपात में किया जाएगा, किन्तु किसी भी परिस्थिति में एवं किसी भी जनपद में राष्ट्रीय औसत (15 प्रतिशत अनुसूचित

जाति और 7.5 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति) से कम तथा 50 प्रतिशत (अनुसूचित जाति और जनजाति को जोड़कर) से अधिक नहीं होना चाहिए। यह आरक्षण अन्तर्गत परिवर्तनीय है, जब खुली वरीयता सूची के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों के अतिरिक्त अधिक योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध न हों।

- (ग) 27% आरक्षण अन्य पिछड़ी जातियों के विद्यार्थियों को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण के अलावा प्रदान किया जाएगा। अन्य पिछड़ी जातियों को आरक्षण का क्रियान्वयन समय-समय पर लागू केन्द्रीय सूची के आधार पर किया जाएगा। अन्य पिछड़ी जातियों के जो अभ्यर्थी केन्द्रीय सूची में शामिल नहीं हैं, उन्हें सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी के रूप में ही आवेदन करना चाहिए।
- (घ) कुल स्थानों का एक-तिहाई स्थान बालिकाओं द्वारा भरे जाएंगे। यह चयन एनवीएस मानदण्डों के अनुसार, जहाँ भी आवश्यक हो, किया जाएगा।
- (ङ) दिव्यांग बच्चों (अस्थि रोग दिव्यांग, श्रव्य दिव्यांग एवं दृष्टि दिव्यांग) के लिए भारत सरकार के नियमानुसार आरक्षण का प्रावधान है।

परीक्षा के बारे में जानकारी

चयन परीक्षा सुबह 11:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक दो घण्टे की अवधि की होगी। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के तीन खण्डों में उपलब्ध होंगे, जिनमें कुल 80 प्रश्न और पूर्णांक 100 हैं।

परीक्षा की संरचना

चयन परीक्षा तीन खण्डों में विभाजित है जिसमें तीन विभिन्न अनुदेशों सहित तीन विभिन्न परीक्षण सम्मिलित हैं। परीक्षा की कुल अवधि दो घण्टे है। दिव्यांग अभ्यर्थी को 40 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा।

प्रश्न-पत्र	परीक्षा	प्रश्नों की संख्या	अंक	समयावधि (मिनट में)
I	मानसिक योग्यता परीक्षण एवं पर्यावरण अध्ययन (EVS)	20 + 20	25 + 25	60
II	अंकगणित परीक्षण	20	25	30
III	भाषा परीक्षण	20	25	30
योग		80	100	2 घण्टे

उत्तर अंकित करने की विधि

- (क) अभ्यर्थी को परीक्षा पुस्तिका के साथ एक उत्तर-पत्रक (ओ. एम.आर.) दिया जाएगा। अभ्यर्थी को केवल उसी उत्तर पत्रक में उचित स्थान पर अपने उत्तर अंकित करने होंगे। एनवीएस की वेबसाइट पर उत्तर-पत्रक की नमूना प्रति अपलोड कर दी जाएगी।
- (ख) उत्तर अंकित करने के लिए केवल नीले / काले बॉल पाइन्ट पेन का ही प्रयोग करें। अभ्यर्थी अपना बॉल पेन अपने साथ लायें। पेन्सिल का प्रयोग वर्जित है।
- (ग) प्रत्येक प्रश्न के लिए चार वैकल्पिक उत्तर होंगे जिसमें केवल एक ही उत्तर सही है। अभ्यर्थी को सही उत्तर का चयन करना है और सही उत्तर को (A, B, C, D) अक्षरों की सहायता से उत्तर शीट पर अंकित गोले को काला करना होगा। उदाहरण के तौर पर प्रश्न सं. 37 के लिए यदि सही उत्तर C है तो उस गोले को उत्तर-पत्रक पर इस प्रकार भरें।

37.

A

B

C

D

- (घ) चिन्हांकन इतना स्पष्ट हो कि मशीन उत्तर को पढ़ सके। ओ.एम.आर. शीट पर उपरिलेखन (over writing), उत्तर को काटना या मिटाना वर्जित है। ऐसे उत्तरों का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।
- (ङ) प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1.25 अंक प्रदान किए जाएंगे।
- (च) ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा।

परीक्षण का स्वरूप

खण्ड-1 : मानसिक योग्यता परीक्षण (MAT) एवं पर्यावरणीय अध्ययन (EVS)

प्रश्न 1-20 : मानसिक योग्यता परीक्षण

यह पूर्णतः अशाब्दिक परीक्षण है। इसका अर्थ यह है कि इस प्रश्न-पत्र के सभी प्रश्न केवल आकृतियों और रेखाचित्रों पर आधारित होंगे। इस परीक्षण का मुख्य प्रयोजन प्रश्नों के माध्यम से विद्यार्थियों की अन्तर्निहित सामान्य मानसिक योग्यता को मापना है।

मानसिक योग्यता खण्ड के 5 भाग हैं। प्रत्येक भाग में 4-4 प्रश्न होंगे और बाकी के 20 प्रश्न पर्यावरणीय अध्ययन (EVS) से सम्बन्धित होंगे। ये प्रश्न अभ्यर्थियों की विभिन्न योग्यताओं की परख करेंगे।

इस खण्ड में 5 अनुभागों के अन्तर्गत 4-4 प्रश्न पूछे जाएंगे :

1. प्रतिरूप पूर्ण करना (वर्णमाला एवं संख्या प्रतिरूप सहित)
2. आकृति-शृंखला पूर्ण करना
3. ज्यामितीय आकृति पूर्ण करना (त्रिभुज, वर्ग, वृत्त)
4. दर्पण एवं जल प्रतिबिम्ब
5. अंतर्निहित आकृति

प्रश्न 21-40 : पर्यावरण अध्ययन (EVS)

इस भाग में 20 होंगे : 15 बहुविकल्पीय प्रश्न तथा एक अनुच्छेद पर आधारित 05 प्रश्न। EVS का पाठ्यक्रम निम्न है। EVS में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की मूल अवधारणाओं का अंतर्विषयी समावेश है। इसका उद्देश्य अभ्यर्थी की अपने परिवेश के प्रति बुनियादी जागरूकता का आकलन करना है।

- **प्राकृतिक संसार** : परिवहन, नदियाँ, पर्वत, स्थल एवं जल के पौधे और जीव, प्राकृतिक आपदाएँ, घर/आश्रय के प्रकार, जल-चक्र आदि।
- **मानव शरीर** : भोजन और पोषक तत्व, स्वच्छता, विशेष इंद्रिय-क्षमताएँ, पाचन, परिसंचरण और श्वसन जैसी आन्तरिक प्रणालियों का आधारभूत ज्ञान।
- **दैनिक जीवन में विज्ञान** : खाद्य संरक्षण, जल एवं वायु प्रदूषण, जल और मृदा संरक्षण आदि।
- **सामाजिक परिवेश** : भारत के महत्वपूर्ण तथ्य, राज्य/राजधानियाँ, राष्ट्रीय प्रतीक, विविध भू-दृश्य, त्योहार, ऋतुएँ, वन, फसलें, वस्त्र एवं रेशे आदि।

खण्ड-2 : अंकगणित परीक्षण

इस परीक्षा का मुख्य उद्देश्य अभ्यर्थियों की अंकगणित में मौलिक दक्षता को मापना है। इस परीक्षा के सभी 20 प्रश्न अग्रलिखित बिन्दुओं पर आधारित होंगे—

1. संख्या एवं संख्या पद्धति : आरोही/अवरोही क्रम, निकटतम 10/100/1000, संख्या नाम और स्थान मूल्य, 2. पूर्ण संख्याओं पर चार मौलिक संक्रियाएँ, 3. गुणनखण्ड और गुणज तथा उनके गुण, 4. भिन्न एवं मूल संक्रियाएँ : समान हर वाले भिन्नों का जोड़ और घटाव, तथा गुणा, असमान हर वाले भिन्नात्मक संख्याओं का भाग शामिल नहीं है, 5. लम्बाई, द्रव्यमान, धारिता, समय, मुद्रा एवं इकाई रूपांतरण आदि का मापन, 6. संख्यात्मक व्यंजकों का सरलीकरण, 7. परिमाण और क्षेत्रफल—बहुभुज का परिमाण, वर्ग, आयत और आयत के रूप में त्रिभुज का क्षेत्रफल, 8. कोणों के प्रकार और उनके सरल अनुप्रयोग (दिशा एवं मानचित्रण सहित), 9. बार आरेख, तालिका और चित्रलेख से डेटा विश्लेषण.

टिप्पणी—अवधारणाओं और कौशल की समझ तथा उनके अनुप्रयोग की जाँच पर अधिक बल होगा. अपेक्षित प्रश्नों के उदाहरणों को समझने के लिए नवोदय विद्यालय की विवरणिका पुस्तिका का अध्ययन करें.

खण्ड-3 : भाषा परीक्षण

इस परीक्षा का मुख्य उद्देश्य अभ्यर्थी की पठन-बोधन क्षमता का आकलन करना है. इसमें चार अनुच्छेद होंगे. प्रत्येक अनुच्छेद में 5 प्रश्न होंगे. अभ्यर्थी अनुच्छेद को ध्यान से पढ़कर उन प्रश्नों के उत्तर देगा.

अनुदेशों को पढ़ना और नमूने के प्रश्नों का अध्ययन

- (क) अभ्यर्थियों को प्रश्नों को हल करने में प्रश्न-पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ और प्रत्येक प्रश्न-पत्र पर दिए गए अनुदेशों को ध्यान से पढ़ना चाहिए. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे इस बात को सुनिश्चित कर लें कि उत्तर पुस्तिका की भाषा वही है जो उसने चाही है. यदि परीक्षा पुस्तिका अभ्यर्थी द्वारा चाही गई भाषा में न हो तो उसे परीक्षा प्रारम्भ होने से पहले ही अभ्यर्थी बदल लें. यह अभ्यर्थी की जिम्मेदारी होगी कि वह आवेदन-पत्र में दिए गए भाषा विकल्प के अनुसार परीक्षा पुस्तिका प्राप्त करे. परीक्षा समाप्त होने के बाद इस सम्बन्ध में कोई भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा.
- (ख) बिना किसी अन्तराल के पूरा समय दो घण्टे होगा. दिव्यांग विद्यार्थियों (भिन्न योग्य) को 40 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा.
- (ग) चूँकि तीनों प्रश्न-पत्रों में न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करना आवश्यक है : मानसिक योग्यता एवं पर्यावरण अध्ययन में 14 अंक, अंकगणित में 7 और भाषा में 7 अंक. इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वह किसी एक प्रश्न-पत्र पर निर्धारित समय से अधिक समय न लगाएं, यद्यपि वह पूरे समय को अपनी इच्छानुसार समायोजित करने में स्वतंत्र हैं.

(घ) हर 30 मिनट बाद एक घण्टी बजेगी.

- (i) वैध प्रवेश-पत्र के बिना अभ्यर्थी को परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाएगा.
- (ii) अभ्यर्थी बैठक व्यवस्था के अनुसार निर्धारित कक्ष में 11.00 बजे पूर्वाह्न तक बैठ जाए. देर से आने वाले किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा.
- (iii) परीक्षा शुरू होने के बाद निर्धारित समय से पहले किसी अभ्यर्थी को परीक्षा भवन से जाने की अनुमति नहीं मिलेगी.

चयन और प्रवेश हेतु शर्तें

- (क) यह एक प्रतियोगी परीक्षा है. इसमें अभ्यर्थी को केवल तीनों परीक्षाओं में अलग-अलग उत्तीर्ण ही नहीं होना है, बल्कि वरीयता सूची में स्थान प्राप्त करने के लिए उच्च अंक प्राप्त करने की भी आवश्यकता है.
 - (ख) चयन परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाने पर कोई अभ्यर्थी विद्यालय में प्रवेश का हकदार नहीं हो पाएगा. वास्तविक प्रवेश के समय, प्रत्येक चुने हुए अभ्यर्थी को नवोदय विद्यालय समिति द्वारा निर्धारित मूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे.
 - (ग) विवाद की स्थिति में नवोदय विद्यालय समिति का निर्णय अन्तिम तथा मान्य होगा. परीक्षा का परिणाम निम्नलिखित कार्यालयों में प्रदर्शित कर दिया जाएगा—
 - (i) सम्बन्धित जवाहर नवोदय विद्यालय में,
 - (ii) जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में,
 - (iii) जिलाधिकारी के कार्यालय में, और
 - (iv) क्षेत्र की नवोदय विद्यालय समिति के उप-आयुक्त के कार्यालय में.
 - (v) समिति की वेबसाइट www.navodaya.gov.in पर भी परिणाम प्राप्त कर सकते हैं.
- अभ्यर्थी प्रवेश पोर्टल पर भी परीक्षा परिणाम देख सकते हैं. अनंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों को सम्बन्धित जवाहर नवोदय विद्यालय के प्राचार्य द्वारा स्पीड पोस्ट से सूचना दी जाएगी. NVS कोई प्रतीक्षा सूची जारी नहीं करेगा. अनिच्छा अथवा आवश्यक मूल प्रमाण-पत्र जमा न करने के कारण रिक्ति होने पर सम्बन्धित श्रेणी/कोटा का अगला अभ्यर्थी ऑनलाइन प्रवेश पोर्टल से स्वतः प्रदर्शित होगा.
- (घ) उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि परिणाम कम्प्यूटर द्वारा तैयार किया जाता है. इसलिए अंकों का दोबारा जोड़ नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि परिणाम तैयार करते समय सभी स्तरों पर पूरी-पूरी सावधानी बरती जाती है.

